पत्रांक- अ०सं०क०-09-02/2013 पार्ट --802--/

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव,
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

पटना, दिनांक :- 2/7/15

विषय :- **केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अररिया जिला में स्वीकृत 24 इकाई +2 उच्च विद्यालय में 04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण की योजना से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में ।**

प्रसंगः- **आपका पत्रांक 3/5(1)/2008-पी.पी.1 दिनांक 27.2.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि जिला पदाधिकारी, अररिया से केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 24 इकाई +2 उच्च विद्यालय में 04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण के स्थान पर 03 कमरे का निर्माण एवं प्राक्कलित राशि में बिना सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पृच्छा की गई । पृच्छा के क्रम में जिला पदाधिकारी, अररिया ने प्रतिवेदित किया है कि कार्यकारी एजेंसी स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, अररिया द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में निर्मित विद्यालय भवन के नीव के भार वहन क्षमता में समय के साथ हुए ह्रास तथा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत अस्तित्व में लाये गये मानकों (भूकम्प संबंधित) की अनदेखी कर एक मंजिले भवन को दो मंजिले भवन में रूपांतरण संभव नहीं है तथा यह सार्वजनिक सुरक्षा के विरूद्ध भी है । इसी आधार पर कार्यकारी एजेंसी द्वारा योजना के स्थगन की अनुशंसा की गई । पुनः कार्यकारी एजेंसी से भूमि पर 04 कमरों के निर्माण के प्रस्ताव की मांग की गई तो उनके द्वारा भूमि पर 03 कमरों का निर्माण का प्राक्कलन तैयार कराकर अनुमोदनोपरांत समर्पित किया गया है । जिसके आलोक में योजना स्वरूप में परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित दर पर 18 इकाई +2 उच्च विद्यालय में भूमि पर 03 कमरों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई । उन्होंने उल्लेख किया है कि जानकारी के अभाव में स्कीम के स्वरूप में बदलाव तथा प्राक्कलन दर में पुनरीक्षण संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति विभाग से नहीं ली गई । (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त वस्तु स्थिति के अनुसार इकाईयों की संख्या में की गई कमी के कारण योजना के स्वरूप में बदलाव की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

2.7.15

सरकार के प्रधान सचिव